फर्द अहकाम

न्यायालय

मूला देवी बनाम [illegible]

मुकदमा संख्या /वर्ष 102/2012

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/8/24	पत्रावली पेश हुई वकील [illegible] अधिवक्ता वादी [illegible] अधिवक्ता [illegible] [illegible] सुना गया। पत्रावली [illegible] लगाना। [illegible] उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	20/8/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] [illegible] [illegible] गई। [illegible] आदेश [illegible] 3/9/2024 [illegible] उपखण्ड [illegible] जयपुर द्वितीय
	3/9/24	पत्रावली [illegible] आदेश [illegible] हुई। वादी का वाद [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जाकर [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:17:05 IST
Reason: SelfAttested

...ालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर, जयपुर

...ख्या : 96/2007

...दिनांक : 9/9/2024

...कृष्णा देवी पुत्री केशरलाल पत्नि रामगोपाल जाति पुरोहित
...निवासी 13 ए, गायत्री नगर प्रथम, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर।

बनाम — वादीनी

...सूरजन पुत्र केशरलाल
...कैलाश पुत्र केशरलाल
...जातिसान पुरोहित निवासी पुरोहितों की ढाणी, ग्राम मुहाना, पोस्ट मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

...मूली पत्नि केशरलाल (मृतक दौराने दावा नाम हजफ)

...शान्ति देवी पुत्री केशरलाल पत्नि चुन्नीलाल जाति पुरोहित निवासी नानासा दरवाजा, मस्जिद के पास, नवलगढ़, जिला झुन्झुनु।

सोमा देवी पुत्री केशरलाल पत्नि पुरुषोत्तम जाति पुरोहित निवासी नृसिंह जी का मंदिर आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

पुष्पा देवी उर्फ कमला पत्नि मुरारीलाल जाति पुरोहित निवासी पुरोहितों की ढाणी, ग्राम मुहाना, पो० मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर

7. सूरजनारायण
8. गोकुल नारायण
9. राधेश्याम
10. रामलाल
11. हनुमान सहाय

(7–11) पुत्रान मुरारीलाल जाति पुरोहित निवासीयान पुरोहितों की ढाणी, ग्राम मुहाना पोस्ट मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

12. गीता देवी पुत्री मुरारीलाल पत्नि बनवारीलाल पारीक [illegible] (रोडवेज वाले) निवासी बी-14, [illegible] कांटे निकेतन वाली गली, लाली माई का [illegible] के पीछे, जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:17:05 IST
Reason: SelfAttested

13. ...देवी पुत्री मुरारीलाल पत्नि रमेश चन्द पारीक निवासी प्लाट नम्बर 202, राजमोटर ड्राईविंग स्कूल, ब्रह्मपुरी रोड, ब्रह्मपुरी जयपुर।

14. सरोज पुत्री मुरारीलाल पत्नि विनोद पारीक निवासी प्लाट नम्बर 202, राजमोटर ड्राईविंग स्कूल, ब्रह्मपुरी रोड, ब्रह्मपुरी जयपुर।

— लगातार

15. तारा] पुत्रीयाँ मुरारीलाल जाति पुरोहित मि० पुरोहितों की
16. मथुरा] ढाणी ग्राम मुहाना पो० मुहाना, तहसील सांगानेर, जयपुर

17. बी.के. जेठानी पुत्र श्रीचन्द जेठानी
18. उर्मिला जेठानी पत्नि बी.के. जेठानी
निवासीयान् ए-9 लाजपतनगर द्वितीय न्यू दिल्ली।

19. श्री मोहित पाण्डे पुत्र श्री विंग कमाण्डर पी. आर. पाण्डे निवासी 147, एयरफोर्स सोसायटी, सेक्टर 7/11, द्वारका नई दिल्ली।

20. उप पंजीयक सांगानेर (द्वितीय) जिला जयपुर
21. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर

22. मनोहर प्रकाश] पुत्रान रामानन्द पारिक निवासी मकान
23. राकेश कुमार] नं० 51, नेहरु नगर, केशुपुरा, अजमेर रोड, जयपुर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, लकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा धारा 88, 53 व 188 RTA 1955,

निर्णय

दिनांक 9/9/2024

वादीनी ने वाद पत्र बाबत घोषणा, लकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि खाता संख्या 50 के ख० न० 137 रकबा 0.50 है०, 139 रकबा 0.08 है०, 289 रकबा 0.12 है०, 290 रकबा 0.01 है०, 291 रकबा 0.14 है०, 296 रकबा 0.16 है०, 297 रकबा 0.10 है०, 298 रकबा 0.12 है०, 299 रकबा 0.15 है०, 1655 रकबा 0.01 है० कुल किता 11 कुल रकबा 1.78 है० वाके ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है। विवादित भूमि पूर्व मे वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 के पिता व प्रतिवादी संख्या-3 के पति केशर लाल तथा प्रतिवादी [illegible] 6 के पति व प्रतिवादी सं. 7 लगायत 16 के पिता मुरारीलाल पुत्रान शंकरलाल के कब्जा एंव [illegible] स्व० केशरलाल व स्व० मुरारीलाल [illegible] सहकृषक व कब्जा काश्त खातेदार थे। विवादित भूमि पर वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3

— लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:17:05 IST
Reason: SelfAttested

के पति केशरलाल अपने हिस्सा 1/2 पर शांतिपूर्वक काबिज काबिज काश्त रहे हैं, केशरलाल व स्व० मुरारीलाल के मध्य विवादित भूमि का कोई भी विधिवत् रूप से बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन आज तक नही हुआ है तथा भूमि अविभाजित है एवं संयुक्त खातेदारी मे अंकित है। वादीनी के पिता केशरलाल के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 3 द्वारा बिना वादीनी को सूचित किये चुपचाप राजस्व विभाग के कर्मचारियो से मिलकर स्व० केशरलाल के सम्पूर्ण 1/2 हिस्से की भूमि को अपने नाम से जरिये विरासत अपने नाम से अवैध व गैर कानूनी रूप से करा जिसका प्रतिवादी सं. 1 लगा० 3 को कानूनन कोई भी हक व अधिकार प्राप्त नही था। विवादित भूमि स्व० केशरलाल के कब्जे काश्त व खातेदारी की होने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मे वर्णित प्रावधान के अनुसार वादीनी व प्रतिवादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 5 पुत्री होने के कारण प्रथम श्रेणी की वारिस होने से कानूनी प्रावधान के अनुसार 1/5 - 1/5 हिस्सा स्व० केशरलाल के हक व हिस्सा की भूमि मे से प्राप्त करने की अधिकारी हैं। इस कारण राजस्व विभाग द्वारा किया गया इन्द्राज वादीनी के हक व अधिकारो को देखते हुऐ अवैध, शून्य, प्रभावशाली व बेअसर है जिसके आधार पर वादीनी को उसके हक व अधिकारो से कानूनन वंचित नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा अवैध व गैर कानूनी इन्द्राज के आधार पर भूमि ख०नं० 137 रकबा 0.85 हैक्टर मे हिस्सा 75/85 को अवैध रूप से प्रतिवादी सं. 17 व 18 को विक्रय कर दिया। जिसका वादीनी को कोई जानकारी नही हो सकी, दिनांक 1/5/2007 को जब वादीनी वादग्रस्त आराजी पर गई तो प्रतिवादी संख्या 17 व 18 भूमि पर आये तो उन्होने कहा कि हमने यह भूमि रजिस्ट्री से खातेदारान् से खरीद की है वादीनी ने प्रतिवादीगण से इस संबंध मे जानकारी की तो प्रतिवादी सं० 1 लगा० 3 ने कहा कि उन्होने पूर्व मे और आगे भी बेचेंगे, वादीनी के यह कहने पर कि इस जमीन मे उसका बराबर हिस्सा है, प्रतिवादी 1 लगा० 3 ने कहा कि यह सारी भूमि उनके नाम से रिकार्ड मे (खातेदार) [illegible] वादीनी के हक व हिस्सा से स्पष्ट रूप से इन्कार [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा भूमि वादग्रस्त पर वादीनी [illegible] करने देने व बेदखल कर भूमि को अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने की धमकी देने के कारण वादीनी को यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने हक व हिस्से की भूमि का विधिवत्

—लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:17:05 IST
Reason: SelfAttested

से बाई मीसल एच5 बाउण्ड्रा विभाजन कराकर अलग खाता कायम कराये तथा प्रतिवादीगण को उक्त कृत्य नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द कराये तथा वादीनी के पिता केशरलाल के स्वर्गवास के पश्चात् उसके संपूर्ण हिस्सा की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 3 द्वारा अपने नाम अंकित कराकर भूमि विक्रय करने व दिनांक 1/6/2007 को वादीनी के हक व हिस्सा से स्पष्ट रूप से इन्कार करने व दिनांक 3/7/2007 को वादीनी के हक व हिस्सा से स्पष्टरूप से इन्कार करने, काश्त नहीं करने, भूमि को विक्रय करने तथा वादीनी को बेदखल कर सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने की धमकी देने के कारण वादीनी को यह वाद कारण उत्पन्न हुआ इसलिये यह दावा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वाद बहक वादीनी विरुद्ध प्रतिवादीगण 1 लगा० 3 डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी ख० न० 137, 138, 139, 289, 290, 291, 296, 297, 298, 299, 1655 कुल किता 11 (कुल रकबा 1.78 हे० वाके ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर में वादीनी को 1/10 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादीनी का नाम प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 3 के साथ बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड मे अंकित किया जावे तथा खाता अलग कर विभाजन के अनुसार वादिनी के हक व हिस्सा मे आयी भूमि पर वादीनी को मौके पर वास्तविक रूप से कब्जा दिलवाया जाकर व प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी पर जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करे।

वादीनी के वाद को दर्ज रजिस्टर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगा० 3 उपरान्त शेष प्रतिवादीगण 4 लगा० 16 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध दिनांक 29/8/2008 को एक तरफा कार्यवाही की गयी। शेष प्रतिवादीगण 1 लगा० 3 की ओर से जवाबदावा पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध मे वादीनी ने वाद पत्र के मद नं. 1 जानबूझ कर सजरा खानदान (वंशावली) गलत प्रकार से अंकित की है। वह अधूरी प्रस्तुत की गई है। शंकर लाल के तीन पुत्र व एक पुत्री थी जिनमे से धोकल लाल जी, केसर लाल, मुरारीलाल पुत्र है व एक पुत्री ललिता उर्फ लाडदेवी है वादिनी ने धोकललाल को [illegible] पुत्र अंकित किया है जब बद्रीनारायण का विवाह ही नहीं [illegible] था ना ही उन्होने कभी धोकल लाल को गोद पुत्र लिया [illegible] की पुत्री ललिता उर्फ लाडदेवी को जान [illegible] भी नहीं दर्शाया गया है जबकि वह भी कानूनन शंकरलाल की सम्पत्ति मे अपना अधिकार व हिस्सा रखती है इसलिये बिरधीचन्द जी की सम्पत्ति की उत्तराधिकारी शंकरलाल हुऐ शंकरलाल की मृत्यु के पश्चात् उनके तीनो पुत्र व एक पुत्री ललिता उर्फ लाडदेवी चारो बराबर के हिस्सेदार

— लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:17:05 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि धोकल लाल व उनके पुत्र पुत्रीयो ने अन्य लोगो को धोखे मे
व छलकपट से सम्पति अपने नाम करवाली तथा केसर लाल को
हिस्से की सम्पत्ति व मुरारीलाल को उनके हिस्से की सम्पति देकर
अर्फ लाडदेवी को उनके हिस्से की सम्पति धोकल लाल के पुत्रो ने
रख ली तथा जब भी बंटवारा होगा उसे उनके हिस्से की सम्पति
जावेगी इस प्रकार प्रतिवादी सं. एक, दो व तीन अपने हिस्से की भूमि पर
है। जिसमे वादिनी का कोई हिस्सा नही बनता है। स्व० बिरदीचन्द
खातेदारी की सम्पत्ति मे आज तक मिट्स एण्ड बाउण्डस का बंटवारा
हुआ है लेकिन मुरारीलाल व केसरलाल को उनके हिस्से की सम्पति
हो गयी है लेकिन उर्फ लाडदेवी को धोकल लाल व उनके पुत्रो
आज तक उनके हिस्से की सम्पत्ति नही है तथा विक्रय करने पर
है। वादिनी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने हेतु कोई
कार उत्पन्न नही होता ना ही वाद पत्र मे वर्णित सम्पत्ति मे कोई हिस्सा
है तथा किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही
अतः वादनी का वाद खारिज किया जावे।

प्रतिवादी सं. 17 व 18 की ओर प्रस्तुत जवाब का संक्षिप्त वृतान्त
प्रकार है कि वादनी का यह कथन कतई गलत है कि वादनी व प्रतिवादीगण
ही परिवार के व्यक्ति है मिन प्रतिवादीगण, वादनी व अन्य प्रतिवादीगण
परिवार के व्यक्ति नही है। मिन प्रतिवादीगण द्वारा मद में वर्णित सम्पत्ति
पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.12.1999 को मुरारीलाल, हुकम, कैलाश
स्व० केसरलाल व मुन्नीदेवी पत्नि स्व० केसरलाल से खरीद की गई है।
पश्चात इस मद मे वर्णित अचल सम्पत्ति मिन प्रतिवादीगण द्वारा जरिये
मुख्तारआम श्री प्रभुदयाल यादव, ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.5.06
प्रतिवादी सं. 19 को विक्रय की जा चुकी है। तथा वर्तमान जमाबन्दी
प्रतिवादी सं. 19 के नाम नामान्तरण हो चुका है दिनांक 1-5-2007
मिन प्रतिवादीगण इस सम्पत्ति के मालिक ही नही थे, तो इस मद
वर्णित तथाकथित तथ्य स्वतः ही प्रथमदृष्टया गलत व झूठे साबित होते
वादपत्र मे वर्णित तथ्यो के मद्देनजर वादनी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप
विक्रय पत्रो के निरस्तीकरण का अनुतोष चाहा है, इस कारण माननीय
न्यायालय को प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। उक्त वर्णित
तथ्यो एव परिस्थितियो के मद्देनजर वादिनी का वाद खारिज फरमाया
।

प्रकरण मे उभयपक्षकारान् के अभिकथ्यो के आधार पर तनकीयात
कायम की गई :-

क्याा विवादित भूमि स्व० केसरलाल के खातेदारी की भूमि होने
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार वादीनी व
प्रतिवादी संख्या 4 व 5 स्व० केसरलाल ... ... वारिस
होने से 1/6 - 1/6 हिस्से की भूमि प्राप्त करने की ... अधिकारी है,
क्याा वादिनी भूमि विवादग्रस्त जो कि ... वाद
में वर्णित है, के 1/12 हिस्से की ... दर्ज होने
प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 3 का हिस्सा राजस्व रिकार्ड ... कम करवाने
की अधिकारीणी है।
— वादी
क्याा वादिया भूमि विवादग्रस्त का कोई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स
विभाजन करवाकर अलग खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारीणी है
— वादी

—लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:17:05 IST
Reason: SelfAttested

आया वादिया प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारणी है।

— वादिया

आया वाद बिना वाद कारण पेश किया गया होने से खारिज होने योग्य है।

— प्रतिवादी

आया सरकारी अधिकारियो को वाद प्रस्तुती से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. के प्रावधानो के तहत नोटिस नही दिया गया होने वाद चलने योग्य नही है।

— प्रतिवादी

7. आया वाद मे घोषणा का अनुतोष केवल मात्र दीवानी न्यायालय द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है इसलिए वाद राजस्व न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य नही होने से खारिज होने योग्य है।

— प्रतिवादी

8. आया वाद मियाद बाहर पेश किया गया होने से खारिज होने योग्य है।

— प्रतिवादी

9. अनुतोष।

तनकीयात कायम करने के उपरान्त साक्ष्य उभयपक्ष ली गई। वादी ने अपने दावा के समर्थन मे नकल जमाबन्दी सम्वत् 2059 लगायत 2062 प्रदर्श-1, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 प्रदर्श-2, नकल नामान्तकरण संख्या 89 प्रदर्श-3, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 2054 प्रदर्श-4, नकल खतोनी (जमाबन्दी) दिनांक 1-7-89 से 30 जून 2009 प्रदर्श-5 पेश किये. तथा साक्ष्य शपथ पत्र कृष्णादेवी, बृजबिहारी व हकत्याग पत्र दि० 6/8/2007 पेश किये है।

प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य पेश नही होने पर प्रतिवादीगण को दिनांक 25/4/2016 से न्यायालय द्वारा 38 अवसर दिये गये लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य पेश नही की गई। प्रतिवादीगण को दि० 2/1/2019 को 500/- रुपये हर्जे पर साक्ष्य शपथ पत्र पेश करने हेतु न्यायहित मे अन्तिम अवसर दिया किन्तु फिर भी प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य पेश नही की तथा 10 अवसर न्यायहित मे अवसर दिये जाने के उपरान्त कोई साक्ष्य शपथपत्र पेश नही किया। दिनांक 11/9/2019 का प्रकरण 96/2007 मे प्रतिवादीगण की साक्ष्य बंद की गई। प्रतिवादीगण ने पुनः साक्ष्य पेश करने हेतु प्रार्थना [illegible] गण ने पेश किया जिस पर उभयपक्षकारान [illegible] प्रकरण मे पूर्व मे जवाबदावा पेश करने मे [illegible] से अधिक समय व्यतीत किया जिसमे [illegible] दिया जाना उचित नही समझते [illegible] खारिज दिनांक 10/12/19 को किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ [illegible] बहस सुनी गई उनके द्वारा प्रस्तुत तर्को पर भी मनन किया गया। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। तनकीयात

— लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:17:05 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार है :-

तनकी नं. 1

यह दावा की आधारभूत तनकी है जिसे सिद्ध करने का दायित्व वादनी का है वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 17 एक ही परिवार के व्यक्ति है जो शंकरलाल के वंशज है। शंकरलाल के दो पुत्र केशरलाल व मुरारीलाल है। केशरलाल की पत्नि मुन्नी देवी का स्वर्गवास हो चुका है। उनके पुत्र दुर्गन व कैलाश प्रतिवादी सं. 1 व 2 तथा पुत्री पुष्पा देवी, शान्ति देवी, सोमा देवी है तथा मुरारीलाल के उनकी पत्नि पुष्पादेवी, व पुत्रान सूरजनारायण, गोकुलनारायण, राधेश्याम, रामलाल, हनुमान सहाय व पुत्री गीतादेवी, सरोज, तारा व मधुरा प्रतिवादी संख्या 6 से 16 है। वादग्रस्त आराजी कब्जेवार जमाबन्दी संम्वत 2 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 मे केशरलाल, मुरारीलाल पि० शंकरलाल कोम पुरोहित सा० देह खातेदार दर्ज है। वादनी के पिता केशरलाल के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात नामान्तरण संख्या 89 दिनांक 24/7/97 द्वारा (विरासत केशरलाल फौत) कैलाश, दुर्गन पिता केशरलाल, मुन्नी देवी बेवा केशरलाल हि० 1/2 कोम पुरोहित सा० देह मुरारीलाल बदस्तूर हि० 1/2 दर्ज का स्वीकार किया जिसमे पुत्रीयो के पुष्पादेवी, शान्तिदेवी, सोमा देवी नाम नामान्तरण मे दर्ज नही किये गये। वादग्रस्त भूमि स्व० केशरलाल के कब्जे काश्त व खातेदारी की होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मे वर्णित प्रावधान के अनुसार हक व हिस्सा निहित होने के कारण कानूनन प्राप्त करने की अधिकारी है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड इन्द्राज वादिनी के हक व अधिकारो को देखते हुऐ उसके हक व अधिकारो से कानूनन वंचित नही किया जा सकता है। यह तनकी वादनी के हक व प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकी नं. 2

चूंकि तनकी नं. 1 वादिनी के पक्ष व प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय हुई है चूंकि वादनी का हक व हिस्सा वादग्रस्त आराजी मे निहित है यह तनकी वादनी के पक्ष व विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं. 3

चूंकि वादग्रस्त आराजी मे वाद[illegible] अधिकार अधि० 1956 मे वर्णित प्रावधान के अनुसार [illegible] के कारण विभाजन कराने की अधिकारी है [illegible] वादिनी के पक्ष मे तय की जाकर विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:17:05 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं. 4

चूंकि तनकी सं. 1 ता० 3 वादिनी के पक्ष व प्रतिवादीगण की विरुद्ध तय होने के कारण यह तनकी वादिनी के पक्ष व प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

— लगातार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय [illegible]

तनकी नं. 5

वादिनी के पिता केशरलाल के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 द्वारा बिना वादीनी को सूचित किये स्व० केशर लाल के सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा की भूमि को अपने नाम जरिये विरासत नामान्तरण अपने नाम से करा लिया था जिसमे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान के अनुसार वादिनी 1/6 हिस्सा प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी है अवैध इन्द्राज के कारण दिनांक 1/5/07 व 3/7/2007 को वादकारण होने के कारण वादिनी ने वाद अपने हक व अधिकार प्राप्त करने के लिए पेश किया गया है यह तनकी वादिनी के पक्ष व विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं. 6

चूंकि वादिनी ने दावा घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया है जिसमे प्रतिवादी सं. 20 को लैण्ड होल्डर होने के कारण फोरमल पक्षकार बनाया गया है जिनके विरुद्ध वादीनी द्वारा दावा मे कोई अनुतोष नही चाहा गया है इस कारण 80 CPC का नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है यह तनकी वादी के पक्ष व विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं. 7

चूंकि वादिनी के पिता केशरलाल के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 द्वारा बिना वादनी को सूचित किये स्व० केशरलाल के संपूर्ण 1/2 हिस्सा की भूमि को अपने नाम से जरिये विरासत नामा० सं. 89 से अवैध व गैर कानूनी से करा लिया जिनको कानूनन कोई भी हक व अधिकार नही था। विवादित भूमि स्व० केशरलाल के कब्जा काश्त खातेदारी होने के हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मे प्रावधान के अनुसार वादीनी पुत्री होने के कारण प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उक्त कानूनी प्रावधान के अनुसार 1/6 हिस्सा प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी है इस कारण राजस्व रिकार्ड इन्द्राज वादिनी के हक व अधिकारो को देखते हुए अवैध है जिसके आधार पर वादीनी को उसके हक व अधिकारो से कानूनन वंचित नही किया जा सकता है इसलिये यह तनकी वादीनी के पक्ष व विरुद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

अनुतोष।

चूंकि वादिनी के पिता [illegible] हो जाने के पश्चात प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 [illegible] वादनी को सूचित कि स्व० केशरलाल [illegible] को अपने नाम जरिये विरासत [illegible] करा लिया जिनको कानूनन कोई भी हक व अधिकार नही था जबकि केशर लाल के समस्त विधिक वारिसान के पक्ष [illegible] नामान्तरण दर्ज किया जाना चाहिऐ था वादग्रस्त भूमि स्व० केशरलाल की खातेदारी होने के कारण वादिनी का विधिक वारिस होने

— लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:17:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

[illegible] काश्तकारी अधिनियम 1955 के [illegible] प्रावधान के अनुसार [illegible] है कि [illegible] कानून वादिनी [illegible] अधिकारों को देखते हुए वादिनी के हक व अधिकारों [illegible] वंचित नहीं किया जा सकता है चूंकि प्रतिवादीगण [illegible] शंकरलाल के तीन पुत्र क्रमशः [illegible], केशरलाल व [illegible] व एक पुत्री [illegible] होना बताया है।

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि [illegible] शंकरलाल की विरासत की जांच करे तत्पश्चात [illegible] की विरासत की जांच कर नामान्तकरण संख्या 89 द्वारा [illegible] विरासत नामान्तकरण में फुलादेवी व अन्य पुत्रीयों/बहनों [illegible] छोड़ा गया है जिससे वादिनी के हक व अधिकारों से वंचित [illegible] गया है चूंकि वादिनी अपने हक व अधिकारों की घोषणा चाही गई है। वादिनी का वाद आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादिनी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण आंशिक डिक्री [illegible] जाकर आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त आराजी ख0 न0 [illegible] 138, 139, 289, 290, 291, 296, 297, 298, 299, 1655 [illegible] किता 11 कुल रकबा 1.78 हे0 वाके ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर [illegible] सम्बन्धित नामान्तरण संख्या 89 दिनांक 25.7.97 को निरस्त कर [illegible] दर्ज करने के आदेश दिये जाते है कि विरासत केशरलाल [illegible] जांच के पश्चात फुलादेवी का हिस्सा जो कि शंकरलाल की विरासत जांच के बाद ही केशरलाल की विरासत जांच से तय होना है उसकी जांच कर नामान्तकरण दर्ज करें तथा वादिनी फुलादेवी को केशरलाल के हिस्से की विरासत हिस्सा मे 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से तैयार कर पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 9/9/2024 को सरे आम न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible] अधिकारी
[illegible] (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:17:05 IST
Reason: SelfAttested